रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 245] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 8, 1990/वैशाख 18, 1912
No. 245] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 8, 1990/VAISAKHA 18, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 1990

का. आ. 372 (अ) :—केन्द्रीय सरकार ने वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 150 की उपधारा (5) के अनुसरण में फारवर्ड सीमन्स यूनियन आफ इंडिया, कलकत्ता और इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन के

मध्य विवाद की बाबत भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पोत परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 970 (अ), तारीख 3 नवम्बर, 1987 के अधीन गठित श्री एस. के. राय, अधिकरण का पंचाट भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 313 (अ), तारीख 9 अप्रैल, 1990 द्वारा प्रकाशित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिकरण के पूर्वोक्त पंचाट को केवल नाविकों के एक वर्ग तक प्रभावी करना लोक आधार पर असमीचीन होगा ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त उपधारा (5) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त पंचाट को इस सीमा तक उपांतरित करती है कि वह सभी नाविकों की बाबत लागू होगा।

[फाइल सं. सी—18018/3/89 एमटी]

एस. एन. कक्कड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 1990

S.O. 372(E).—Whereas the Central Government, in pursuance of sub-section (5) of section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), vide notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport No. S.O. 313(E) dated the 9th April, 1990 published the Award of Shri S. K. Rai, Tribunal, constituted under notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Shipping Wing), No. S.O. 970(E) dated the 3rd November, 1987 in respect of the dispute between the Forward Seamen's Union of India, Calcutta and the Indian National Shipowners Association ;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it will be inexpedient on public ground to give effect to the aforesaid Award of the Tribunal only to a section of seamen ;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to the said sub-section (5), the Central Government hereby modifies the aforesaid Award to the extent that it shall be applicable in respect of all the seamen.

[File No. C-18018|3|89-MT]

S. N. KAKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990